# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 22 / 2025

तारीख दायर—27 / 10 / 2025

तारीख निर्णय—27.02.2026

1. श्रीमती रीनादेवी पत्नी नारयणदास वैष्णव निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

........वादी

**बनाम**

1. श्री तनसुख पिता गणेशलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
2. श्री पुष्करलाल पिता गणेशलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
3. श्रीमती नारायणी बाई पत्नी गणेशलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
4. श्रीमती तुलसीबाई पत्नी गणेशलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
5. श्रीमती गणेशी पत्नी मोहनलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
6. श्री दिनेश कुमार पिता मोहनलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
7. श्रीमती राजु बेन पिता मोहनलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
8. श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता मोहनलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
9. श्रीमती गौरी पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
10. श्री नरेन्द्र पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
11. श्री नीमा पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
12. श्रीमती मांगीबाई पत्नी माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
13. श्री रमेश पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
14. श्रीमती राधा पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
15. श्री श्रवण पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
16. श्री मांगीलाल पिता शंकर कुम्हार निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
17. श्री श्याम लाल पिता इन्द्रलाल महाजन निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
18. भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया।

............प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट**

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री पुष्करलाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

## निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा कूण पटवार क्षेत्र कूण तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 247 व पुराना 18 में वर्णित आराजी नम्बर 319 रकबा 0.4428 हैक्टेयर, स्थित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगणों की

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादी एवं प्रतिवादीगणों संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादीगणों के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगणों को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगणों बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा कूण पटवार क्षेत्र कूण तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 247 व पुराना 18 में वर्णित आराजी नम्बर 319 रकबा 0.4428 हैक्टेयर, स्थित है। उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी<br>
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी<br>
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

## वाद डिक्री

1. श्रीमती रीनादेवी पत्नी नारयणदास वैष्णव निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

........वादीगण

1. श्री तनसुख पिता गणेशलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
2. श्री पुष्करलाल पिता गणेशलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
3. श्रीमती नारायणी बाई पत्नी गणेशलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
4. श्रीमती तुलसीबाई पत्नी गणेशलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
5. श्रीमती गणेशी पत्नी मोहनलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
6. श्री दिनेश कुमार पिता मोहनलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
7. श्रीमती राजु बेन पिता मोहनलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
8. श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता मोहनलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
9. श्रीमती गौरी पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
10. श्री नरेन्द्र पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
11. श्री नीमा पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
12. श्रीमती मांगीबाई पत्नी माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
13. श्री रमेश पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
14. श्रीमती राधा पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
15. श्री श्रवण पिता माधवलाल तेली निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
16. श्री मांगीलाल पिता शंकर कुम्हार निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
17. श्री श्याम लाल पिता इन्द्रलाल महाजन निवासी कूण तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
18. भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया।

............प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री पुष्करलाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 27.02.2026.को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है खाता संख्या नया 247 व पुराना 18 में वर्णित आराजी नम्बर 319 रकबा 0.4428 हैक्टेयर, भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)